



2026:AHC:167202

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8077 वर्ष 2026

ताजिल एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शिवम तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 328 वर्ष 2026, धारा 126(2), 309(4), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- नकुड़, जनपद- सहारनपुर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकगण को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। सूचनाकर्ता ने आवेदकगण से धनराशि ली थी, जो उस पर देय थी और केवल धनराशि के भुगतान से बचने के लिए झूठा मामला स्थापित किया गया है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि घटना लगभग सायं 06:00 बजे दिन के उजाले में घटित होना बताई गई है और प्रश्नगत अपराध का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक दिन विलंब से अंकित की गई है। आवेदक संख्या 2 का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदकगण पूर्व दोषसिद्ध नहीं हैं।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि उक्त मामले में पीड़ित को भी चोटें आई हैं, जो अभियोजन के कथन की सत्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से विवाद नहीं कर सके कि आवेदकगण का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

7. आवेदकगण पूर्व से ही सूचनाकर्ता के परिचित थे। घटना दिन के उजाले में घटित हुई है। तथापि, घायल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या से पता चलता है कि चोटों का परीक्षण दिनांक 14.06.2026 को सायं 5 बजे किया गया। प्रश्नगत घटना दिनांक 13.06.2026 को लगभग सायं 6 बजे की है। चोटें भी साधारण प्रकृति की हैं। विलंबित चिकित्सीय परीक्षण, प्रथम सूचना रिपोर्ट का विलंबित अंकन तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि किसी भी चोट को गंभीर प्रकृति की नहीं बताया गया है और चोटें अत्यंत साधारण हैं, आवेदकगण को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

8. मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

10. आवेदकगण ताजिल एवं जुल्फान की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा :-

i. आवेदकगण जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हों;

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

10 अगस्त, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।